


अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आयोग द्वारा लोक प्राधिकरणों में नामित सूचना अधिकारियों पर अपरिचित अर्द्धदण्ड का विवरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
विभाग का नाम	अन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड प्रारित किया गया	दण्ड प्रारित करने का दिनांक	दण्ड से निरहित धनराशि	दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा अन-सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	प्रारित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अन्य	
01 राज्य का विभाग, मुद्राबाद जिला, मुद्राबाद	श्री रमा शंकर, उपयुक्त राज्य कर	11-07-2018	₹ 5,000/-				श्री वसन्ती सिंह द्वारा जारी गयी बयानना के पत्र में मामलीय राज्य सूचना आयोग सचकाद ने अर्द्ध दण्ड - 11.07.2018 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) कागिन्य कर, मुद्राबाद पर जारी की सूचना अत्यन्त व झूठे के सम्बन्ध में बहिर्पूर्ति ₹ 5000.00 का बर्बरच दिनांक 11-07-2018 को डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) कागिन्य कर, मुद्राबाद पर प्रेषित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर के शेरन से अर्द्ध बहिर्पूर्ति धनराशि रुपये 5000.00 की रकमी हुई डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) कागिन्य कर द्वारा सो डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) कागिन्य कर, मुद्राबाद के पत्र संख्या- 2805 दिनांक 13-03-2020 द्वारा बहिर्पूर्ति की धनराशि के अन्त में साक्ष्य उपलब्ध करने का प्रयत्न किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) कागिन्य कर, मुद्राबाद के पत्र संख्या- 1831 दिनांक 01-02-2021 द्वारा डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) कागिन्य कर द्वारा सो अन्तर्गत प्रेषित कर दिया गया है, जिसके अन्त में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) कागिन्य कर द्वारा तथा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) कागिन्य कर, मुद्राबाद से अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा प्रोत्स धनराशि जमा करने हेतु निर्दिष्ट किया जा है। अर्द्धदण्ड जमा न होने की दशा में डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) कागिन्य कर, मुद्राबाद के पत्र सं 43 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर को अर्द्धदण्ड जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसे अन्त में तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) कागिन्य कर	

<p>02. राज्य सरकार विभाग, मुम्बई जैन, मुम्बई</p>	<p>श्री दिव्यमूर्ति, कार्यालय राज्य सरकार खाण्ड-1 विजनाई</p>	<p>16-07-2018</p>	<p>₹ 25000.00</p>	<p>अतिरिक्त अर्थदण्ड जमा करायें जाने हेतु सम्बन्धित खाण्ड के डिपॉजिट को इस स्तर से पत्र सं० 1153 दि० 01-03-2023 प्रेषित किये गये हैं।</p>	<p>शून्य</p>	<p>अतिरिक्त अर्थदण्ड के सम्बन्ध में मामलीय विभागीय विजनाई के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्थदण्ड समाप्ति हेतु इस स्तर से मामलीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत पत्र संख्या- 589 दिनांक 25-02-2021 से किया गया है जो मा० राज्य सूचना आयोग में लम्बित है। इस कार्यालय द्वारा उपयुक्त राज्य सरकार, खाण्ड-1 मुम्बई महोदय को पत्र सं० 801 दिनांक 17-02-2022 लिख गया तथा श्री दिव्यमूर्ति, उपयुक्त राज्य सरकार, खाण्ड-1 महोदय को पत्र सं० 140 दि० 09-05-2014 एवं सं०- 1151 दिनांक 01-03-2023 को अर्थदण्ड जमा करने हेतु प्रेषित किये गये हैं।</p>	<p>शून्य</p>	<p>मुम्बई महानगर निगम (विशुद्धीकरण) कार्यालय सर, इटावा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 प्रेषित करते हुये अकालत रूपका गया है कि मा० आयोग द्वारा उक्त बट में शुल्क हेतु प्रेषित दिनांक 03.08.2021 के अभाव अतिरिक्त अर्थदण्ड रुपये 5000.00 की बचली समाप्त करते हुये बट निष्क्रिय कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में अतिरिक्त शुल्क 5000.00 जमा करने हेतु पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 तथा पुनः पत्र संख्या 337 दिनांक 31-05-22 व पत्र सं० 221 दिनांक 31-03-23 व पत्र सं० 1425 दिनांक 21.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है जमा प्रमाण प्राप्त होने की सहाय्य महोदय की सेवा में प्रेषित कर दिया जाएगा। द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है।</p>
--	--	-------------------	-------------------	---	--------------	--	--------------	---

03	राज्य कर	श्रीमती सरिता सिंह, तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/डिप्टी कमिश्नर (प्रशा) वाणिक्री भांसी ।	22.11.2012	25000.00	00	00	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा) वाणिज्य कर, भांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि शिकायत अपील सं-1/2482सी/2011 के मामले में आदेश दिनांक 22.11.2012 के विरुद्ध भेरे द्वारा मा0 राज्य सूचना आयुक्त 30प्र0 लखनऊ के समक्ष अपील क्रमांक-104002 दिनांक 20.03.2018 दायर की गयी है जो वर्तमान में लम्बित है ।
04	राज्य कर	श्री चन्द्रशेखर वर्मा	कुल 21 पत्रावलियों में अर्शदण्ड परित किया गया । 21 पत्रावलियों का अर्शदण्ड निरस्त कर दिया गया ।	---	---	---	श्रीमती सरिता सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग- बांदा तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/ डिप्टी कमिश्नर (प्रशा) वाणिज्य कर, भांसी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 975 दिनांक 23.11.2019 से अवगत कराया गया है कि उनके प्रत्यावेदनपर मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त , 30प्र0 लखनऊ द्वारा भी सुनवाई की कोई तिथि नियत नहीं की गई है ।


(डाली 31/1/24)

उपायुक्त(जनसूचना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।